उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

मंगलवार, 04 आषाढ़, शक संवत्, 1941

(दिनांक : 25 जून, 2019)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)

2. निधन के निदेश।

3. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2019 के प्रथम सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।

4. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि:-

   (1) उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का प्रथम अधिनियम बन गया।

   (2) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन), विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का द्वितीय अधिनियम बन गया।

   (3) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का तृतीय अधिनियम बन गया।

   (4) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का चतुर्थ अधिनियम बन गया।

   (5) भारतीय भागीदारी (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का पांचवा अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का छठा अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का सातवां अधिनियम बन गया।

(8) हिमालयीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 अप्रैल, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का आठवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910) (संशोधन) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 अप्रैल, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का नवां अधिनियम बन गया।

5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

6. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम मानकपुर आदमपुर में शिव मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री राजकुमार सैनी पुत्र श्री गोविन्द, ग्राम-मानकपुर, पो0-खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम भलस्वागाज में पानी की समस्या के चलते गांव में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री अजीत सिंह, पुत्र श्री फूलसिंह, ग्राम व पो0 भलस्वागाज, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम बिन्दुखरक में मेन रोड से ग्राम डांकावाली उत्तर प्रदेश सीमा तक लगभग 700X3 मी0 सी0 सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री संजय, पुत्र श्री विजयपाल, ग्राम-बिन्दुखरक, पो0-भलस्वागाज, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री धन सिह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''श्रीदेव सुमन राज्य विश्वविद्यालय का कैम्पस कालेज बादशाही थौल चम्बा में शीघ्र खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री कमान सिंह नेगी, ग्राम व पो0 बादशाही थौल जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री धन सिह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''कोटी कालोनी के पंचकोटी से नई टिहरी के लिए रोपवे लगाये जाने के बाबत् सर्वेक्षण के बाद आगे की कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में" श्री अमित मिश्रा, ग्राम व पो0 कोटी कालोनी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री धन सिह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''पहाड़ी क्षेत्र में जंगली जानवरों सुअर व बन्दरों के कारण ग्रामीणों की खेती को हो रहे नुकसान के बाबत् स्थायी समाधान न किये जाने के सम्बन्ध में" श्री जगदम्बा वेलवाल, ग्राम व पो0 जड़ीपानी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा ''विधानसभा क्षेत्र घनसाली, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील घनसाली एवं बालगंगा के दैवीय आपदा एवं भूःस्खलन से प्रभावित गांवों को पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री धनपाल सिंह राणा, ग्राम-धारगांव पो0-धोपड़धार भिलंग, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा ''विधानसभा क्षेत्र घनसाली, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत वर्ष 2013 में आई भीषण आपदा से पट्टी नैलचामी की गाड, चांजी गाड तथा भिलंग घुत्तू गाड में हुई तबाही के सम्बन्ध में" श्री विजय राम भट्ट, ग्राम-कठूड़ पट्टी हिन्दाव, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा ''विधानसभा क्षेत्र घनसाली, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चौठारा गोनगढ़ एवं कोट थाती कठूड़ के विस्थापन एवं पट्टी गोनगढ़ के बनथूनी-धापड़ सिंचाई नहर के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री भरत सिंह नेगी, ग्राम-भल्डगांव, भिलंग, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

15. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के मलुवाताल ग्राम सभा को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अति संवेदनशील जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री प्रताप सिंह गंगोला पुत्र श्री मोती सिंह, ग्राम सभा-मलुवाताल, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के धारी ब्लाक के कसियालेख मुक्तेश्वर मोटर मार्ग के पसियापानी से सुनकिया, दाड़िम, ओड़ाखान मोटर मार्ग में डामरीकरण के सम्बन्ध में" श्री पवन सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, ग्राम-सुनकिया पो0-भटेलिया, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

17. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के चमोली ग्राम सभा के जगडिग्गी मल्ली से चमोली की ओर जीर्ण-क्षीर्ण पेयजल लाईन के सम्बन्ध में" श्री राम सिंह मछकोलिया पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह, ग्राम-चमोली, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

18. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

19. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

20. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

21. पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

22. पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करेंगे।

23. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी–**''ख''**)

24. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

25. आयुष मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार किया जाय। (15 **मिनट**)

26. आयुष मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पारित किया जाय।

27. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश की राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय।''

28. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

29. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय।''

30. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय।''

31. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय।''

32. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।''

33. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

34. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

35. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

36. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि, बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती करायी जाय।''

37. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मतस्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय।''

38. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय।''

39. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई-नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने-अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये।''

40. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या-1118/XVII-1/2013-01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुर्नविचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या-02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (Bonafide Residents) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय।''

41. नियम- 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरणः-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,	''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र विशेष में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित आधारभूत सुविधाओं, सेवाओं आदि का विकास करते हुए, सार्थक प्रयास किये जायें।''
2. श्रीमती ममता राकेश,	''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि डाटकाली मन्दिर को जाने वाली सुरंग के पुनर्निर्माण एवं वन वे मोटर मार्ग किया जाय।''

42. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

43. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

44. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

45. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।''

46. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।''

47. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।''

48. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

49. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराया जाय।''

50. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।''

51. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।''

52. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।''

53. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

54. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।''

55. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश की प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोडों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

56. श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चा जारीः–

''सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)''

57. दिनांक 21 फरवरी, 2019 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–01 के संबंध में श्री मनोज रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें एवं ड्रेस वितरित योजना होने विषयक सूचना पर, नियम–51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

58. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

देहरादून :
दिनांक : 24 जून, 2019

उत्तराखण्ड विधान सभा

द्वितीय सत्र, 2019
का प्रथम मंगलवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार,
आषाढ़ 04, शक संवत्, 1941
(दिनांक : 25 जून 2019)

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

श्रीमती ममता राकेश
15.04.2019
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
22.04.2019

*1. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि समाज कल्याण विभाग में विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ पाने हेतु आवेदकों की अधिकतम मासिक आय के मानक 4000 रूपये प्रतिमाह होने के फलस्वरूप वास्तविक रूप से जरूरतमंद व्यक्ति योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना से अधिक लोगों को लाभान्वित करने हेतु अधिकतम आय सीमा के मानकों में वृद्धि करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी पेंशन योजनाओं की मासिक आय के मानकों को ''राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना'' तथा ''नंदा गौरा योजना'' के समान 6000/मासिक करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
22.04.2019

*2. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि विगत 5 वर्षों में प्रदेश में निर्मित सैकड़ों सड़क मार्गों को विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, जिससे सड़क दुर्घटना घटित होने पर बीमा कम्पनियों द्वारा दुर्घटना बीमा नहीं दिया जा रहा है? यदि हां तो क्या सरकार विगत 5 वर्षो में निर्मित सभी सड़क मार्गों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगी, जिससे सड़क दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों को बीमा का लाभ मिल सकें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

परिवहन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
24.04.2019

*3. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रसिद्ध शक्तिपीठ तीर्थस्थल वैष्णो देवी (जम्मू कश्मीर) पैदल पथ व अवस्थापना सुविधाओं की तर्ज पर राज्य के प्रसिद्ध तीर्थधाम यमुनोत्री, केदारनाथ तथा हेमकुण्ड में पैदल पथ व अवस्थापना सुविधाओं की कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन

श्री प्रीतम सिह पंवार 06.05.2019	*4. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वीर चन्द्र गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुंवर सिंह ग्राम धौलागिरी, भवान सिंह, सेमवाल गांव तथा बिजेन्द्र सिंह, ग्राम धौलागिरी, तहसील धनोल्टी, जनपद टिहरी गढ़वाल को अनुमन्य देय राज सहायता (सब्सिडी) का लाभ प्रदान नहीं किया गया है ? क्या यह सत्य है कि इन स्वरोजगारियों द्वारा बार–बार पर्यटन विभाग टिहरी से सम्पर्क कर मांग की जा रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि इन उद्यमियों को अनुमन्य देय राज सहायता (सब्सिडी) का भुगतान कब तक करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन
श्री देशराज कर्णवाल 14.05.2019	*5. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा सिंचाई अपासी माफ की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की भांति उत्तराखण्ड के किसानों पर भी सिंचाई अपासी माफ करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री धन सिंह नेगी 15.05.2019	*6. क्या लघु सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि उनके विभाग के तहत पुराने समय से सिंचाई हेतु हाईड्रम योजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक विभाग के पास कितने हाईड्रम ऐसे हैं, जिनसे सिंचाई होती है तथा कितने निष्प्रयोज्य घोषित किये गये हैं ? क्या यह भी सत्य है कि सरकार इन हाईड्रमों के रखरखाव के लिए जिला योजना में बजट प्राविधान करती है ? यदि हां, तो जनपदवार हाईड्रम स्कीमों के संचालन के लिए कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लघु सिंचाई
श्री देशराज कर्णवाल 16.05.2019	**तृतीय सोमवार के तारांकित–13 में स्थानान्तरित।** *7. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में कितनी कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है तथा सरकार द्वारा कितने किसानों को कुल कितना मुआवजा दिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कृषि भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती ममता राकेश 15.04.2019	1. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा के प्रथम सत्र 2019 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 06 के उत्तरालेख के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि परिवहन निगम से प्राप्त आगणनों की स्वीकृति हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो गये हैं ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन
श्री देशराज कर्णवाल 16.04.2019	2. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग में कितने बैकलॉग के पद रिक्त हैं ? यदि हां तो उन्हें भरने की सरकार की क्या कोई योजना है ?यदि हां तो कब तक? यदि नही ंतो क्यों ?	सिंचाई

श्री देशराज कर्णवाल 18.04.2019	3. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यटन विभाग में कितने बैकलॉग के पद रिक्त है? यदि हां तो उन्हें भरने की सरकार की क्या कोई योजना है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री देशराज कर्णवाल 22.04.2019	4. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों को लाभान्वित करने के लिए कौन–कौन सी योजनाए चलायी जा रही हैं और इन योजनाओं से विधानसभा वार कितने–कितने पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है? यदि नहीं तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री धन सिंह नेगी 23.04.2019	5. क्या सिचाई मंत्री अवगत हैं कि पुनर्वास शहर नई टिहरी में वकीलों, सामाजिक सगंठनों, पत्रकारों को आवास देने का प्राविधान है? यदि हां तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि नई टिहरी शहर में अभी तक कितने वकीलों, पत्रकारों एवं समाजिक सगंठनों को आवास आंवटित किये गये हैं तथा उनके आंवटन की प्रकिया क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	सिचाई
श्री धन सिंह नेगी 23.04.2019	6. क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोप–वे योजना पर कार्य कर रही है? यदि हां तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में राज्य में कितने रोप–वे पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में रोप–वे के लिए सर्वेक्षण कार्य किया है? यदि हां तो क्या सरकार टिहरी विधानसभा क्षेत्रो के कोटी कालोनी से नई टिहरी तक रोपवे के लिए किये गये सर्वेक्षण पर आगे कार्यवाही करने की योजना बना रही है? यदि नही तो क्यों?	पर्यटन
श्री देशराज कर्णवाल 23.04.2019	7. क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की लघु सिंचाई योजनाओं पर अब तक सरकार की कुल कितनी धनराशि निवेश हुई है एवं इन योजनाओं का जनपदवार विवरण क्या है? यदि नही तो क्यों?	लघु सिंचाई
श्री धन सिंह नेगी 24.04.2019	8. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि सरकार अनु0जाति/जनजाति उप योजना के तहत अनुजाति बाहुल्य गावों में अवस्थापना विकास का कार्य करती है? यदि हां तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि का जनपदवार चयनित योजनाओं का विवरण क्या है? क्या यह भी सत्य है कि उक्त योजना से अनु0जाति/जनजाति के छात्रों की शिक्षा के उन्नयन हेतु छात्रावासों के भी संचालन करने की व्यवस्था है? यदि हां तो क्या नई टिहरी स्थित भीमराव अम्बेडकर छात्रावास का संचालन समाज कल्याण विभाग से कराया जायेगा?यदि नही तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्री देशराज कर्णवाल 24.04.2019	9. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि तीर्थनगरी ऋषिकेश में प्रसिद्व त्रिवेणी घाट तट पर मां गंगा की धारा तट से काफी दूरी पर बह रही है जिससे अनेको तीर्थयात्रियों व श्रद्वालुओं को स्नान आचमन आदि में काफी दिक्कतों का सामना करना पडता है? यदि हां तो क्या सरकार गंगाधारा को त्रिवेणी घाट के तट पर लाने हेतु उचित प्रयास करेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	सिंचाई

श्री प्रीतम सिंह पंवार 2.04.2019	10. क्या बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत अगलाड नदी क्षेत्र एवं सकलाना क्षेत्र में औसतन प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण जन जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त और प्रभावित होता है? सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण हेतु क्या–क्या उपाय किये जा रहे है? यदि नहीं, तो क्यों?	बाढ़ नियंत्रण
श्री देशराज कर्णवाल 25.04.2019	**द्वितीय सोमवार के अतारांकित–11 में स्थानान्तरित।** 11. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि गरीब सवर्ण आरक्षण में आय प्रमाण पत्र बाधा बन रहा है? यदि हां तो क्या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां तो क्या? यदि नही तो आय प्रमाण पत्र कब तक जारी कर दिये जायेगें?	समाज कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 2.04.2019	12. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी में सिंचाई विभाग की सिंचाई नहरें कौन–कौन सी है, जिनका रख रखाव सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि अधिकांश सिंचाई नहरें अत्यधिक पुरानी जीर्ण–शीर्ण व मरम्मत/पुनर्निर्माण योग्य है? यदि हां, तो पुरानी जीर्ण–शीर्ण मरम्मत व पुनर्निर्माण योग्य सिंचाई नहरों का पुनर्निर्माण/मरम्मत/जीर्णोद्धार का कार्य कब तक करवा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री देशराज कर्णवाल 26.4.2019	13. क्या धर्मस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि झबरेड़ा विधान सभा के लोदीवाला में रविदास मंदिर श्मशान घाट, शिवमंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	धर्मस्व
श्री प्रीतम सिंह पंवार 30.4.2019	14. क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के परम्परागत ढोल वादकों (बाजगियों–ढोलियों) को प्रोत्साहित करने तथा पारम्परिक विधा को बचाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कार्य किये जा रहे हैं? राज्य के कितने ढोल वादकों को पेंशन दी जा रही है और वाद्ययंत्रों के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है? यदि नहीं तो क्यों ?	संस्कृति
श्री धन सिंह नेगी 30.4.2019	15. क्या लघु सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र की सिंचित गूलों का निर्माण कार्य करवाती है? यदि हॉ तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जनपदवार विभाग ने कितने नहरों/गूलों का निर्माण कार्य अभी तक कराया है ? क्या यह भी सत्य है कि लघु सिंचाई विभाग को केन्द्र सरकार से भी उक्त गूलों के निर्माण/मरम्मत के लिए धनराशि दी जाती है? यदि हॉ तो अभी तक केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 से 31 मार्च, 2019 तक कितनी धनराशि दी है? यदि नहीं तो क्यों?	लघु सिंचाई
श्री प्रीतम सिंह पंवार 2.5.2019	16. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना के कारण पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन तथा व्यक्तिगत शिकायतों के निपटारे के लिए टी. एच.डी.सी/राज्य प्रशासन द्वारा लोक शिकायत स्थापित किया गया है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 में प्राप्त शिकायतों तथा प्रशासन के उत्तर के सारांश का दस्तावेज तैयार किया गया और इसे स्थानीय प्रभावितों को उपलब्ध कराया गया है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तैयार दस्तावेज उपलब्ध कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई

श्री देशराज कर्णवाल — माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

2.5.2019

17\. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में परिवहन विभाग में सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की प्रकिया में अनुसूचित जाति को शामिल क्यों नही किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि उत्तराखण्ड राज्य बनने के उपरान्त नौ लोगों को सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया जिसमें सिर्फ एक ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पदोन्नति दी गयी जबकि नियमानुसार छठवा व ग्यारहवा पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के उपरान्त सामान्य वर्ग को पदोन्नति दी जानी चाहिए थी ? क्या यह उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 14.8.2001 के विपरीत नही है? क्या सरकार पदोन्नति में आरक्षण की नियमानुसार प्रकिया अपनायेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन

श्री धन सिंह नेगी
2.5.2019

18\. क्या संस्कृति मंत्री अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में पौराणिक ऐतिहासिक धार्मिक व व्यापारिक मेलों को श्रेणीवार अधिसूचित किया गया है? ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उन समस्त मेलों का श्रेणीवार विवरण क्या है? क्या यह भी सत्य है कि सरकार इन मेलों के आयोजन पर प्रतिवर्ष धनराशि देती है? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद टिहरी गढ़वाल के अधिसूचित मेलों के लिए वर्ष 2018–2019 में दी गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति

श्री प्रीतम सिंह पंवार
3.5.2019

19\. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले गांवों के मृत शरीर संस्कार हेतु ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड रहा है? टिहरी बांध जलाशय के आसपास स्थित गांवों के लोगों के पैतृक घाट झील में डूब चुके हैं और अब मृत शरीर का दाह संस्कार करने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है? क्या सरकार टिहरी बांध प्रभावित इस क्षेत्र के ग्रामीणों के पैतृक घाटों का निर्माण करायेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई

श्री धन सिंह नंगी
3.5.2019

20\. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी झील में साहसिक खेलों के विकास हेतु पूर्व में गठित टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण का नोटिफिकेशन हो गया है? यदि हां तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त प्राधिकरण के लिए विभागवार प्रस्तावित ढांचे का विवरण क्या है? क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने जनपद स्तर पर जिला विकास प्राधिकरण गठित कर एक ही यूनिट बनाये जाने का निर्णय किया है? यदि हां तो टिहरी जनपद में दो विकास प्राधिकरणों का औचित्य क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन

श्री देशराज कर्णवाल 3.5.2019	21. क्या धर्मस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र झबरेडा के अन्तर्गत ग्राम खाताखेड़ी में श्मशान घाट की चाहरदीवारी एवं रविदास मंदिर के सौन्दर्यकरण हेतु कोई प्रयास किया जा रहा है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	धर्मस्व
श्री प्रीतम सिंह पंवार 6.5.2019	22. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम बधाणगांव तहसील चिन्यालीसौड़ जनपद उत्तरकाशी के 14 परिवारों को वर्ष 2001–2002 में टिहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत पूर्ण पात्रता की श्रेणी में लिया गया था? क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 2004–2005 में सभी 14 परिवारों की ग्राम छजुला की भूमि को ग्राम बधाणगांव की भूमि के साथ जोड़कर अपात्र घोषित किया गया? क्या यह भी सत्य है कि पुनर्वास नीति के अनुसार ग्रामीण पुनर्वास के अन्तर्गत पात्रता निर्धारण करने के लिए प्रभावित ग्राम की भूमि को ही आधार माना जायेगा? क्या सरकार बतायेगी कि मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं0 960, 985 (एम0बी0) 2006 दिनांक 28.11.2006 के निर्णय के क्रम में इनकी पात्रता का निर्धारण भी किया जायेगा?यदि हा तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री देशराज कर्णवाल 06.05.2019	23. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कितने रोप–वे कहां–कहां स्थापित है ? क्या सरकार राज्य के विभिन्न नये स्थानों पर रोप–वे लगाने हेतु विचार कर रही है ? क्या ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी मण्डल मुख्यालय पौड़ी में रोप–वे स्थापित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन
श्री धन सिंह नेगी 06.05.2019	24. क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड़ राज्य में राफ्टिंग एवं कैम्पिंग की गतिविधियां संचालित की जाती है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में उक्त कार्य कहां–कहां पर किया जा रहा है? यदि यह भी सत्य है कि राफ्टिंग एवं कैम्पिंग के लिए गंगा नदी कौड़ीयाला से ऋषिकेश तक बीच के लिए स्थान निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो वर्तमान में उस क्षेत्र में ऐसे कितने बीच आवंटित है तथा उनसे कितना राजस्व सरकार को मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन
श्री सुरेश राठौर 06.05.2019	25. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में कुल कितने नलकूप स्थापित हैं व कितने नलकूप सुचारू रूप से संचालित हैं तथा नलकूपों पर कितने ट्यूबवेल ऑपरेटर कार्यरत हैं ?	सिंचाई
श्री देशराज कर्णवाल 08.05.2019	26. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निक मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ साथ सामान्य श्रेणी के गरीब ग्रामीण छात्र छात्राओं के लिए तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है और क्या सामान्य गरीब छात्र छात्राओं के लिए सरकार की घोषणा के उपरान्त आरक्षण लागू हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पवांर 09.05.2019	27. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी में गलैंच (सकलाना), हखालगांव पालीवाड़ी, मवाणा, सैंजी, भेड़ियान, स्यांसू–रतवाड़ी धरकलगांव, रणकोटी–सौड़सारी, खसकुदाऊ–टकारनाप,धुच्चू–जौडू, बुराड़ी–ढाल, वणगांव और मरोड़ा–मठियाण आदि दर्जन भर सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त अथवा	सिंचाई

	मरम्मत/पुनर्निर्माण योग्य हैं, जिनके पुनर्निर्माण हेतु विभाग को कई बार निर्देशित किया जा चुका है? क्या सरकार कृषकों के हित में उपरोक्त वर्णित सिंचाई नहरों की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	
श्री प्रीतम सिंह पवांर 09.05.2019	28. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत थत्यूड़ एवं सकलान क्षेत्र के समस्त विभागीय कार्यों के लिए सहायक अभियन्ता चतुर्थ सिचांई उपखण्ड का कार्यालय नरेन्द्रनगर में इस क्षेत्र से लगभग 150 कि0मी0 दूरी पर स्थित हैं? क्या यह सत्य है कि इन क्षेत्रों में होने वाले समस्त विभागीय कार्यों के लिए ग्रामीण काश्तकारों/जन प्रतिनिधियों व ठेकेदारों को नरेन्द्रनगर जाना पड़ता है? क्या सरकार व्यापक जनहित में सहायक अभियन्ता चतुर्थ सिंचाई उपखण्ड का मुख्यालय थत्यूड़ ब्लॉक मुख्यालय में स्थापित करायेगी ? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो, क्यों ?	सिंचाई
श्री प्रीतम सिंह पवांर 09.05.2019	29. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी में विकास खण्ड चम्बा की ग्राम पंचायत पसनी के काश्तकारों द्वारा सिंचाई नहर निर्माण की मांग लम्बे समय से की जा रही है? क्या सरकार काश्तकारों के हित में सिंचाई नहर का निर्माण करायेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं? तो क्यों?	सिंचाई
श्री देशराज कर्णवाल 09.05.2019	30. क्या सिचांई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में स्थापित/संचालित सिंचाई खण्डों द्वारा वर्ष 2017 से वर्ष 2018 तक किए गये निर्माण कार्यों का खण्डवार विवरण क्या हैं? सिंचाई खण्डों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन/भत्ते पर व्यय की गई धनराशि का वर्षवार तथा खण्डवार विवरण क्या हैं?	सिंचाई
श्री देशराज कर्णवाल 10.05.2019	**द्वितीय सोमवार के अतारांकित–12 में स्थानान्तरित।** 31. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जनपदवार बाल सुधार गृह में बाल अपराधियों की कुल कितनी संख्या हैं? क्या सरकार ने इनके पुनर्वास, पढ़ाई–लिखाई एवं उनके लिए उच्च स्तर पर सुधार हेतु कोई ठोस योजना व नीति तैयार की है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 13.05.2019	32. क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने लोक कलाकारों, वादकों, मूर्तिकारों को मासिक पेंशन दी जा रही है ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान में देय पेंशन से इन लोक कलाकारों का समुचित भरण पोषण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां तो क्या सरकार इन्हें देय पेंशन को बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	संस्कृति
श्री देशराज कर्णवाल 13.05.2019	33. क्या धर्मस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम पनियाली में बारात घर के सौन्दर्यीकरण, श्मशान घाट की चाहरदीवारी निर्माण व पनियाली में स्थित मंदिर में कक्ष निर्माण हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	धर्मस्व
श्री प्रीतम सिंह पंवार 14.05.2019	34. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम हडियाड़ी तहसील चिन्यालीसौड़, जनपद उत्तरकाशी के 75% से अधिक परिवारों को टिहरी बांध परियोजना निर्माण अन्तर्गत प्रभावित माना जा चुका है ? क्या यह सत्य है कि अब्बल सिंह, पूरण सिंह पुत्रगण गोठियार सिंह, साकिन हडियाड़ी के पात्रता निर्धारण से सम्बन्धित प्रकरण दिनांक 21.12.2010 विस्थापन हेतु स्वीकृत किया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि यह निर्णय न्यायाधीश शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तथा जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा 21.07.2012 को दिया गया था ? यदि हां तो क्या इन्हें पुनर्वासित किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई

श्री धन सिंह नेगी 14.05.2019	35. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश सरकार गौरा देवी कन्या धन योजना में लाभार्थियों का चयन करती है? यदि हाँ, तो उक्त योजना के तहत चयनित लड़कियों की वर्ष 2015, 2016 व 2017 में जनपद टिहरी गढ़वाल की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितनों को धनराशि दी गई है तथा कितनों को धनराशि दिया जाना अभी शेष है? क्या शेष चयनित लड़कियों को भी उक्त योजना से धनराशि दी जायेगी ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त योजना अब बन्द कर दी गयी है तथा योजना बन्द होने से पूर्व के चयनित सभी लाभार्थियों को क्या सरकार अनुमन्य धनराशि देगी? यदि हां, तो मंत्री जी उनकी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वि0ख0 चम्बा व जाखणीधार के चयनित लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्री धन सिंह नेगी 14.05.2019	36. क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में शिवालयों के प्रति जनता की अटूट आस्था है जिनमें प्रतिवर्ष सावन के माह में लाखों यात्री जल चढ़ाने जाते हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत देवलसारी महादेव (गेंवली) जाखणीधार भद्रेश्वर महादेव कंवाली (पौखाल) जाखणीधार वगासू महादेव, डडूर चम्बा गंगेश्वर महादेव जसपुर चम्बा व चन्देश्वर महादेव पुनाणू मृत्युंजय महादेव साबली चम्बा शिवालयों में यात्रियों की सुविधाओं हेतु सरकार का प्रतीक्षालय व बेरीकेडिंग बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन
श्री देशराज कर्णवाल 15.05.2019	37. क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अवगत हैं कि कलियर शरीफ दरगाह की आय करोड़ों रूपये प्रतिवर्ष है ? इस आय का उपयोग करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए क्या–क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों?	अल्पसंख्यक कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.05.2019	38. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आगामी चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या पूर्व और व्यापक तैयारियां की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि धामों तथा धामों के पड़ावों पर किये जा रहे अवस्थापना कार्यों को पूर्ण करा लिया गया है ? क्या यह सत्य है कि धामों में अभी तक भी पर्याप्त सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है, पैदल पथ, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, विद्युत कार्य और सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने में सरकार की भारी उदासीनता स्पष्ट दिखायी पड़ रही है ? क्या सरकार चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए विशेष प्रयास करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.05.2019	39. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून–सुवाखोली–भवान–नगुण –उत्तरकाशी मोटर मार्ग पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस प्रतिदिन प्रातः 5:30 बजे देहरादून से उक्त रूट से उत्तरकाशी पहुँचकर उसी दिन उत्तरकाशी से अपराह्न 12:30 बजे देहरादून को वापस प्रस्थान करती है? क्या सरकार व्यापक जनहित में उसी रूट पर उत्तरकाशी से प्रातः 5:30 बजे प्रस्थान तथा देहरादून से अपराह्न 12:30 बजे उत्तरकाशी वापसी हेतु बस का संचालन करायेगी ? क्या यह सत्य है कि जनता व जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त बस का संचालन कराये जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है ? यदि हाँ तो उक्त बस का संचालन कब से प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन

श्री प्रीतम सिंह पंवार 17.05.2019	40. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 2016–17 व 2017–18 में अनु0जाति परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए दी जाने वाली राज सहायता के कितने आवेदन प्राप्त हुए थे ? क्या सरकार बतायेगी कि प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल कितने आवेदकों को विभाग द्वारा देय सहायता का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्री देशराज कर्णवाल 17.05.2019	41. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विभाग के अधीन चल रही वॉल्वो एवं ए0सी0 बसों में यात्रियों के लिए सीट बेल्ट एवं अन्य सुविधाओं हेतु सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?	परिवहन
श्री देशराज कर्णवाल 20.05.2019	42. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड शहीद स्मारक गुरूकुल नारसन व रामपुर मुजफ्फर नगर उत्तर प्रदेश के सौन्दर्यीकरण की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?	पर्यटन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 20.05.2019	43. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं के द्वारा गौरा देवी कन्याधन योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17, 2017–18 में वर्षवार कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार द्वारा सभी आवेदकों को गौरादेवी कन्याधन योजना अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 21.05.2019	44. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच पड़ने वाले गांवो को पर्यटन के साथ जोड़ने की योजना का निर्माण किया गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में अब तक कुल कितने गांवों को इस योजना से जोड़ा गया और कुल कितने पर्यटकों द्वारा इन गांवो में प्रवास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन
श्री धन सिंह नेगी 03.5.2019	45. क्या संस्कृति मंत्री अवगत है कि विधान सभा टिहरी के अन्तर्गत श्रीदेव सुमन व वी0सी0 गब्बर सिंह के नाम प्रतिवर्ष उनकी यादगार में जिला प्रशासन व स्थानीय स्तर पर जून सहभागिता के माध्यम से मेले आयोजित होते है? यदि हां तो क्या मंत्री यह बताने का कष्ट करेगें कि इन महान विभूतियों के नाम से प्रतिवर्ष लगने वाले मेलों को संस्कृति विभाग से लगाये जाने पर सरकार विचार कर रही है?यदि नही, तो क्यों?	संस्कृति

नत्थी-“ख''

कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 24 जून, 2019 की बैठक में दिनांक 25 जून, 2019 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

जून, 2019

25 (मंगलवार) **विधायी कार्य:-**

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

असरकारी कार्य:-

1. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

   ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश की राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय''।

2. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

   ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

   ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय''।

4. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय''।

5. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय''।

6. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।''

7. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुर्ननिर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

8. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

9. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

10. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि, बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती करायी जाय''।

11. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मतस्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय''।

12. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय''।

13. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई-नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने-अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये''।

14. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या-1118/XVII-1/2013-01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुर्नविचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या-02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (Bonafide Residents) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय''।

<u>नियम- 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरणः-</u>

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, "यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र विशेष में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित आधारभूत सुविधाओं, सेवाओं आदि का विकास करते हुए, सार्थक प्रयास किये जायें।"

2. श्रीमती ममता राकेश, "यह सदन प्रस्ताव करता है, कि डाटकाली मन्दिर को जाने वाली सुरंग के पुनर्निर्माण एवं वन वे मोटर मार्ग किया जाय।"

<u>नियम-105 के प्रस्तावः-</u>

1. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।"

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।"

3. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।"

4 श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।"

5. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय ।''

6. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।''

7. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

8. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराया जाय।''

9. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।''

10. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।''

<u>नियम–54 की सूचनाऐंः–</u>

1. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

"प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।"

2. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

"प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।"

3. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत "इरशाद हुसैन" आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट सदन के पट्ल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पट्ल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।"

4. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश की प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोडों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।"

- श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चा जारीः–

"सत्त विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)"